



दिनांक 09.03.2024

प्रेस विज्ञप्ति 09 / 2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक उ०प्र० द्वारा रमजान एवं ईद-उल-फितर आदि त्यौहारों के अवसर पर सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में दिये गये दिशा निर्देश

श्री प्रशान्त कुमार, पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० द्वारा समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस आयुक्त, परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद उ०प्र० को आगामी रमजान माह एवं ईद-उल-फितर आदि त्यौहारों के अवसर पर सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था/पुलिस प्रबन्ध के परिपेक्ष्य में मुख्यतः निम्न बिन्दुओं पर निर्देश दिये गये:—

- समस्त कार्यक्रम के आयोजकों, पीस कमेटी एवं धर्मगुरुओं आदि के साथ गोष्ठी कर ली जाय। गोष्ठी में सम्बन्धित मजिस्ट्रेट एवं अन्य विभागों के अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर त्यौहारों से सम्बन्धित समस्त समस्याओं का समाधान समय से करा लिया जाय।
- नई परम्परा की अनुमति न दी जाय तथा प्रत्येक थाने पर उपलब्ध त्यौहार रजिस्टर एवं रजिस्टर नं०-८ में उपलब्ध प्रविष्टियों का अध्ययन कर लिया जाय। असामाजिक/अवॉचनीय तत्वों की सूची को अद्यावधिक कर आवश्यकतानुसार उनके विरुद्ध कड़ी निरोधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
- त्यौहार के दृष्टिगत समस्त ट्रबल स्पाट, हॉट स्पाट की सूची बनाकर वरिष्ठ अधिकारी स्तर पर भ्रमण व समीक्षा कर ली जाये। विगत वर्षों में प्रकाश में आये समस्त विवादों/घटनाओं की समीक्षा करते हुए सभी स्थानों पर प्रभावी पुलिस प्रबन्धन सुनिश्चित किया जाये।
- असूचना तंत्र को और अधिक सक्रिय/सतर्क रखा जाय तथा विभिन्न असामाजिक, अवॉचनीय एवं साम्प्रदायिक तत्वों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखते हुए छोटी

से छोटी सूचना को भी अत्यन्त गम्भीरता से लेते हुये तत्परता पूर्वक यथोचित वैधानिक कार्यवाही की जाये।

- आयोजन स्थलों, संवेदनशील स्थानों, मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों, जुलुस के मार्गों एवं हॉट स्पाट पर प्रर्याप्त/सुदृढ़ पुलिस प्रबन्ध किया जाय तथा सीसीटीवी कैमरा व ड्रोन कैमरे के माध्यम से निगरानी रखी जाय एवं नियमित मोबाइल गश्त/फुट पेट्रोलिंग करायी जाय।
- जनपदों में पोस्टर पार्टी का गठन कर समस्त धार्मिक स्थलों की नियमित चेकिंग सुनिश्चित की जाये।
- यू०पी० 112 के पीआरवी वाहनों के कर्मियों को ब्रीफ करते हुए उनका प्रभावी व्यवस्थापन किया जाय।
- सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मों की निरन्तर मॉनिटरिंग की जाय तथा उन पर सतर्क दृष्टि रखी जाय। असत्य एवं भ्रामक सूचनाओं का तत्काल संज्ञान लेते हुए उनका खण्डन किया जाय तथा आवश्यकतानुसार विधिक कार्यवाही की जाये।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।



~ 3 ~
जनपद कानपुर देहात/थाना भोगनीपुर

- 20 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार
- 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद

दिनांक: 09.03.2024 को थाना भोगनीपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बिदखुरी मोड़ से पुरस्कार घोषित अभियुक्त कल्लू उर्फ जितेन्द्र को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना भोगनीपुर पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 20 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—कल्लू उर्फ जितेन्द्र निवासी रनियां थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

कमिशनरेट गौतमबुद्धनगर/थाना नॉलेज पार्क

- 10 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार
- 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद

दिनांक: 08.03.2024 को थाना नॉलेज पार्क पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर एलजी गोलचक्कर के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त विकास कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना नॉलेज पार्क पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु कमिशनरेट स्तर से 10

हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध कमिशनरेट गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानों पर चोरी, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 13 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना नॉलेज पार्क पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—विकास कुमार निवासी ग्राम दुर्गापुर थाना टप्पल जनपद आजमगढ़।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना जानसठ

- पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार
- चोरी की लगभग 09 लाख रुपये कीमत की 06 बैट्री, 05 आरोआरोयू, 06 केविल के टुकड़े(टावर से सम्बन्धित)
 - घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट कार
- 02 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद

दिनांक: 08.03.2024 की रात्रि थाना जानसठ पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ढांसरी रोड पर बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1—शाहिद घायल को गया, जिसे अभियुक्त 2—इमरान सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की लगभग 09 लाख रुपये कीमत की 06 बैट्री, 05 आरोआरोयू, 06 केविल के टुकड़े(टावर से सम्बन्धित), घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट कार, 02 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

इस सम्बन्ध में थाना जानसठ पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—शाहिद निवासी अशोक बिहार थाना लोनी जनपद गाजियाबाद।

2—इमरान निवासी पसौंदा थाना टीला मोड़, गाजियाबाद।

बरामदगी

1— लगभग 09 लाख रुपये कीमत की 06 बैट्री, 05 आर0आर0यू0, 06 केविल के दुकड़े(टावर से सम्बन्धित)।

2—घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट कार।

3—02 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद हापुड़ / थाना गढ़मुक्तेश्वर

- पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार

- चोरी की 01 मोटर साइकिल

- 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद

दिनांक: 09.03.2024 को थाना गुढ़मुक्तेश्वर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मेरठ रोड दौताई नहर के पास पुलिस कार्यवाही में राशिद उर्फ काला घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी की 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध कमिशनरेट गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, जनपद मेरठ, दिल्ली प्रान्त के विभिन्न थानों पर चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 20 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—राशिद उर्फ काला निवासी समर गार्डन थाना लिसाडी गेट, मेरठ हालपता—कस्बा व थाना मवाना जनपद मेरठ।

बरामदगी

1—चोरी की 01 मोटर साइकिल।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद खीरी/थाना कोतवाली सदर

- 03 अभियुक्त गिरफ्तार
- चोरी की 04 ई—रिक्षा बरामद

दिनांक: 09.03.2024 को थाना कोतवाली सदर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 03 अभियुक्तों 1—मो0 सादाब 2—मो0 साबान 3—मो0 अशफाक को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 04 ई—रिक्षा बरामद हुयी।

उल्लेखनीय है कि थाना कोतवाली सदर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली सदर पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल की बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद ई—रिक्षा चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—मो0 सादाब निवासी मोहल्ला शेख टोला कस्बा व थाना लहरपुर जनपद सीतापुर।

2—मो0 साबान निवासी मोहल्ला शेख टोला कस्बा व थाना लहरपुर जनपद सीतापुर।

3—मो0 अशफाक निवासी मोहल्ला कटरा स्टल कस्बा व थाना लहरपुर जनपद सीतापुर।

बरामदगी

1—चोरी की 04 ई—रिक्षा।

➤ जनपद फिरोजाबाद (गैंगेस्टर एकट में लगभग 02 करोड़ 51 लाख 97 हजार रुपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)

जनपद फिरोजाबाद पुलिस ने अभियुक्त साजिद खान पुत्र स्व0 ताहिर खान निवासी मोहल्ला कटरा पठानान थाना दक्षिण जनपद फिरोजाबाद द्वारा अपने एवं परिजनों के नाम पर अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत लगभग 02 करोड़ 51 लाख 97 हजार रुपये को गैंगेस्टर एकट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही अमल में लायी गयी।

एसटीएफः अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह का शातिर तस्कर व नागालैण्ड राज्य से वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 09–03–2024 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के 01 सदस्य को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

रामानन्द यादव पुत्र बनारसी यादव निवासी फुल्ली सोनहरिया, थाना जमानिया, जनपद गाजीपुर उ0प्र0।

गिरफ्तार अभियुक्त से कुल बरामदगी :-

- 1— मोबाइल फोन—02 अदद।
- 2— रुपये 500/-नगद।
- 2— ए0टी0एम0कार्ड—01अदद।
- 3— आधार कार्ड—01अदद।
- 4— पैनकार्ड—01अदद।

गिरफ्तारी का स्थान/दिनांक व समय :-

जनपद वाराणसी के थाना कैण्ट क्षेत्रान्तर्गत सेण्ट मेरी स्कूल कैण्टोमेण्ट के पास से, दिनांक—09–03–2024

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत काफी दिनों से पूर्वाचल के विभिन्न जनपदों में मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले अपराधियों/तस्करों के सक्रिय होने की सूचनायें प्राप्त हो रही थीं। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 के उच्चाधिकारीगण द्वारा एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों द्वारा अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। अभिसूचना संकलन के क्रम में नागालैण्ड पुलिस द्वारा एस0टी0एफ0 उ0प्र0 से

सम्पर्क कर अवगत कराया गया कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय मादक पदार्थ के तस्करों के गैंग का सदस्य रामानन्द यादव काफी समय से मु0अ0सं0 3/2024 धारा 22(सी) एन0डी0पी0एस0 एकट व 34 आई0पी0सी0 थाना जी0आर0पी0 दीमापुर (नागालैण्ड) में वांछित चल रहा है तथा वाराणसी के आस-पास लुकछिप कर रह रहा है। इस संबंध में निरीक्षक श्री अमित श्रीवास्तव एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई वाराणसी के नेतृत्व में टीम गठित की गयी। उक्त संबंध में धरातलीय अभिसूचना संकलन के दौरान विवर सूत्रों के माध्यम से सूचना मिली कि रामानन्द यादव उपरोक्त जनपद वाराणसी के थाना कैण्ट क्षेत्रान्तर्गत सेण्ट मेरी स्कूल के पास खड़ा होकर किसी के आने का इन्ताजार कर रहा है, यदि शीघ्रता की जाये तो पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर विष्वास करते हुए एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई वाराणसी टीम एवं नागालैण्ड पुलिस द्वारा विष्वस्त सूत्रों द्वारा बताये गये स्थान पर पहुँचकर उपरोक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया जिसके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि वह नागालैण्ड में रहकर प्राइवेट नौकरी करता था। इसी दौरान उसका सम्पर्क स्थानीय मादक पदार्थ के तस्करों के साथ-साथ नेपाल के भी मादक पदार्थ के तस्करों से हो गया। नेपाल व देश के अन्य कोने से मादक पदार्थ लाकर अपने गैंग के सदस्यों के साथ नागालैण्ड में बेचता था। इसी दौरान वर्ष 2014 में 5 किग्रा डोडा (मादक पदार्थ का प्रकार) के साथ थाना बारा चट्टी जनपद गया (बिहार) में अपने 04 साथियों के साथ गिरफ्तार हुआ था। जमानत पर छूटने के बाद पुनः अपने गैंग के साथ सक्रिय हो गया। वर्ष 2024 में इसके गैंग के 02 सदस्यों को मादक पदार्थों के साथ नागालैण्ड पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया, जिसमें नेपाल व नागालैण्ड की दो महिलाओं को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किया गया था, परन्तु रामानन्द यादव आदि फरार हो गये थे। इस संबंध में मु0अ0सं0 3/2024 धारा 22(सी) एन0डी0पी0एस0 एकट व 34 आई0पी0सी0 थाना जी0आर0पी0 दीमापुर (नागालैण्ड) पंजीकृत हुआ था, जिसमें वांछित चल रहा था तथा वाराणसी व आस-पास के जनपदों में लुकछिप रह रहा था।

गिरफ्तार उपरोक्त अभियुक्त को मु0अ0सं0 3/2024 धारा 22(सी) एन0डी0पी0एस0 एकट व 34 आई0पी0सी0 थाना जी0आर0पी0 दीमापुर (नागालैण्ड) में थाना कैण्ट वाराणसी में दाखिल किया गया। नागालैण्ड पुलिस द्वारा मार्ग न्यायालय से ट्रांजिट रिमाण्ड प्राप्त करने की विधिक कार्यवाही की जा रही है।

एसटीएफः उत्तर प्रदेश के कई जनपदों से गो-तस्करी में वांछित अन्तर्राज्यीय स्तर पर गो-तस्करी करने वाले गिरोह का सक्रिय सदस्य व रु0 25,000/- का पुरस्कार घोषित अभियुक्त भुट्टू अली गिरफ्तार।

दिनांक: 08-03-2024 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को जनपद कुशीनगर के थाना तुर्कपट्टी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 0186/2022 धारा 332/353/307/302 भा0द0वि0 में वांछित/फरार अन्तर्राज्यीय स्तर पर गो-तस्करी करने वाले गिरोह का सक्रिय सदस्य व रु0 25,000/- का पुरस्कार घोषित अपराधी भुट्टू अली को जनपद कुशीनगर से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1— भुट्टू अली पुत्र नूर मोहम्मद निवासी ग्राम अहिरौली दुबौली टोला-तकिया वार्ड नम्बर-08 शुकुल नरहवा, थाना गोपालपुर, जनपद गोपालगंज, बिहार।

बरामदगी:-

- 1— 01 अदद तमंचा 12 बोर।
- 2— 02 अदद कारतूस जिन्दा 12 बोर।
- 3— 01 अदद मोबाइल फोन।
- 4— रूपये 600/-नगद।

गिरफ्तारी का दिनांक समय व स्थान:-

दिनांक 08.03.2024 को समय लगभग 21.00 बजे रात्रि अहिरान मोड के पास कुकुरथा नदी, गोपालगंज-गोरखपुर हाइवे थाना क्षेत्र तुर्कपट्टी, जनपद कुशीनगर।

जनपद गोरखपुर, कुशीनगर, संतकबीरनगर एवं आस-पास के जनपदों से बिहार प्रान्त को गोवंश की तस्करी करने वाले गिरोह पर कार्यवाही हेतु एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई गोरखपुर को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन में श्री धर्मेश कुमार शाही, पुलिस उपाधीक्षक के पर्यवेक्षण में निरीक्षक सत्य प्रकाश सिंह के नेतृत्व में की एक टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

अभिसूचना संकलन के माध्यम से ज्ञात हुआ कि जनपद कुशीनगर के थाना तुर्कपट्टी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 0186/2022 धारा 332/353/307/302 भा0द0वि0 में वांछित/फरार अन्तर्राज्यीय स्तर पर गो-तस्करी करने वाले गिरोह का सक्रिय सदस्य अभियुक्त भुट्टू अली उपरोक्त पर जनपद कुशीनगर से 25,000/- रूपये का पुरस्कार घोषित है। वह कुकुरथा नदी, अहिरान मोड के पास थाना क्षेत्र तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर आने वाला है। इस सूचना से स्थानीय पुलिस को अवगत कराते हुए

एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई गोरखपुर एवं थानाध्यक्ष तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर की टीम द्वारा दिनांक 08—03—2024 को उक्त वांछित/फरार अभियुक्त को अहिरान मोड के पास थाना क्षेत्र तुर्कपट्टी, जनपद कुशीनगर स्थान पर पहुँचकर घेराबन्दी कर आवश्यक बल प्रयोगकर उक्त अभियुक्त को गिरफतार कर लिया गया, जिसके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफतार अभियुक्त भुट्टू अली ने बताया कि उसका एक गिरोह है जो अन्तर्राज्यीय स्तर पर गो—तस्करी का कार्य करता है। दिनांक 15—06—2022 को एक पिकप गाड़ी पशु लोड करके बिहार जा रही थी। थाना क्षेत्र पटहेरवा अन्तर्गत बैरियर पर उक्त पिकप गाड़ी को हे0कां0 धर्मवीर यादव द्वारा रोकने का प्रयास किया गया, जिस पर पिकप सवार तस्करों ने मु0आ0 को रौंदकर फरार हो गये, जिसमें हे0कां0 धर्मवीर यादव की मृत्यु हो गयी। इस सम्बन्ध में थाना तुर्कपट्टी—कुशीनगर में मु0अ0सं0 0186 / 2022 धारा 332 / 353 / 307 / 302 भा0द0वि0 पंजीकृत हुआ था।

गिरफतार अभियुक्त के विरुद्ध थाना तुर्कपट्टी, जनपद कुशीनगर में धारा 3 / 25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

भुट्टू अली का आपराधिक इतिहास :-

- 1— मु0अ0सं0 80 / 2022 धारा 307 / 419 / 420 / 467 / 468 / 471 / 472 भा0द0वि0 व 3 / 5ए / 8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना तमकुहीराज कुशीनगर।
- 2— मु0अ0सं0 100 / 2022 धारा 307 भा0द0वि0 थाना तमकुहीराज कुशीनगर।
- 3— मु0अ0सं0 186 / 2022 धारा 302 / 307 / 332 / 353 भा0द0वि0 थाना तुर्कपट्टी, कुशीनगर।
- 4— मु0अ0सं0 196 / 2022 धारा 307 भा0द0वि0 व 3 / 5ए / 8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना बघौचघाट, देवरिया।
- 5— मु0अ0सं0 1059 / 2022 धारा 3 / 5ए / 8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना कसयाँ, कुशीनगर।
- 6— मु0अ0सं0 15 / 24 धारा 174ए भा0द0वि0 थाना तुर्कपट्टी, कुशीनगर।